किसी ग्राम या ग्राम समूह के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र में राज्य सरकार ग्राम सभा बना सकती है। ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज सभी लोग सदस्य होते हैं। जहाँ एक या उससे अधिक ग्राम शामिल हों, वहाँ सबसे अधिक आबादी वाले ग्राम के नाम पर ग्राम सभा का नाम रखा जायेगा।

एक साल में दो बैठकें जरूरी-एक खरीफ की फसल कटने के तुरन्त बाद तथा दूसरी रबी की फसल कटने के तुरन्त बाद।

- ग्राम-सभा अपनी बैठक में नीचे लिखे विषयों पर विचार करेगी और उन पर ग्राम पंचायत को सिफारिश और सुझाव दे सकती है (धारा-11 [3]) :- ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट, पिछले आडिट की टिप्पणी तथा उसका परिपालन। पिछले वित्तीय वर्ष में किये गये विकास कार्यों तथा चालू वित्तीय वर्ष में जो कार्य किये जाने हैं, उसकी रिपोर्ट। समाज के सभी वर्गों में मेल-जोल व एकता बढ़ाना। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम अन्य मामले जो पहले से तय हों (जैसे परिवार कल्याण, पर्यावरण और टीकाकरण)। ग्राम पंचायत उक्त सिफारिशों और सुझावों पर पूरा विचार करेगी। (धारा-11[4])।

ग्राम सभा निम्नलिखित कार्य करेगी (धारा 11 [4])

सबके भले के लिए चलाये जाने वाले कार्यक्रमों के लिए लोगों की भागीदारी श्रम के रूप में अन्य अंशदान जुटाना। विकास कार्यों के लिए लाभार्थी की पहचान। विकास कार्यों को चलाने में सहायता करना।

प्रधान के कर्त्तव्य

- ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठकों को बुलाये तथा उसकी अध्यक्षता करे।
- बैठक की कार्यवाही पर नियंत्रण रखे और व्यवस्था बनाये रखे।
- पंचायत की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन की देख-भाल करे और यदि उसमें कोई कमी नजर आये तो उसकी सूचना गाँव वालों को दे।
- ग्राम पंचायत द्वारा रखे गये कर्मचारियों की देख-भाल करे और उन पर नियन्त्रण रखे।
- ग्राम पंचायत के प्रस्तावों को क्रियान्वित करे।
- पंचायत राज नियमों के अन्तर्गत जो विभिन्न रजिस्टर रखे जाते हैं उनको ठीक से रखने का प्रबन्ध करे और ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करे।
- ग्राम पंचायत की सम्पत्ति की सुरक्षा कार्यवाही करे और पंचायत द्वारा लगाये गये कर, शुल्क आदि की वसूली की व्यवस्था करे।
- ग्राम पंचायत की ओर से दीवानी नालिशें तथा फौजदारी के इस्तगासे दायर करे।

प्रधान के विशेषाधिकार

विशेष आवश्यकता पड़ने पर जिला पंचयात राज अधिकारी को सूचना देकर, बिना ग्राम पंचायत की स्वीकृति प्राप्त किये, ग्राम प्रधान को कोई भी ऐसा काम करने का अधिकार होगा जिसको करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है।

ग्राम पंचायतों को सौंपे गये कार्य

● प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालयों का भवन निर्माण, रख-रखाव, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण। ● राजकीय नलकूप का रख-रखाव, हैण्ड पम्प। ● युवा कल्याण, अखाड़ा, व्यायामशाला, युवक मंगल दल तथा खेलकूद। ● चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी ग्राम स्तरीय कार्य एवं धनराशि सहित अन्य साधन। ● महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी ग्राम स्तरीय कार्य एवं धनराशि। ● राशन की दुकान। ● पशु सेवा केन्द्र एवं 'द' श्रेणी के पशु चिकित्सालय। ● समस्त कृषि सम्बन्धी कार्य एवं धनराशि। ● ग्राम्य विकास से सम्बन्धित ग्राम स्तरीय कार्य। ● पंचायती राज से सम्बन्धित समस्त ग्राम स्तरीय कार्य। ● सभी प्रकार की पेंशन को स्वीकृत करने एवं वितरण करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को। ● पेंशन के नये मामलों के लिये ग्राम पंचायतों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर प्राथमिकता के क्रम में पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की जायेगी। केवल विकलांग पेंशन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी अन्य में नहीं।